



न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़. (राज.)

पोठीसीन अधिकारी

डॉ. अंजली राजोरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	प्रार्थी	उनवान
1	55/2024	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	अप्रार्थी
2	2024/79	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री रमेश पिता कमजी मीणा
3	52/2024	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	ललिताबाई पत्नि रमेश मीणा, गोपालपुरा
4	2024/76	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री एजीबाई पत्नि कमजी मीणा, गोपालपुरा
5	48/2024	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री बाबुलाल पिता कमजी मीणा
6	2024/72	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	वालकी बाई पत्नि बाबुलाल मीणा
7	310/2024	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	गोपालपुरा
8	2024/389	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री घनश्याम पिता कन्हैयालाल जाट
9	169/2024	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्यामाबाई पत्नि घनश्याम जाट, पत्थान
10	2024/198	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री रावजी पुत्र नानुराम
11	174/2024	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	नन्दुडी पत्नि रावजी मीणा,
12	2024/203	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	निवासी अणगौरा, प्रतापगढ़
13	2024/203	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री भोगजी पुत्र लालु
14	330/2024	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	सवागी बाई पत्नि भोगजी मीणा, लुहारिया
15	2024/359	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री केशुराम पिता केवजी
16	45/2024	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	रकमा पत्नि केशुराम मीणा, बडी बम्बोरी
17	2024/69	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री नानुराम पिता फुला मीणा
18	96/2024	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	कलाबाई पत्नि नानुराम मीणा, डोर
19	2024/125	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री कनीराम पिता गोमजी
20	39/2024	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	पार्वती पत्नि कनीराम मीणा, बडीबम्बोरी
21	2024/63	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री नारूलाल, नाथु लाल पिता कचरु
22	47/2024	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	मीणा, खेरमगरी
23	2024/71	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री कारूलाल पिता रामा मीणा
24	27/2024	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्यामा बाई पत्नि कारूलाल मीणा,
25	2024/51	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	छोटीबम्बोरी
26	332/2024	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री चौखाराम पुत्र मांगीलाल
27	2024/361	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्रीमती बगदीबाई पत्नि चौखाराम मीणा,
28	292/2024	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	करमदीखेडा
29	2024/321	सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़	श्री तुषार पिता मांगीलाल मीणा, बडी
			बम्बोरी
			श्री रविकुमार पिता सुरेश चन्द्र
			रेखा पत्नि रविकुमार ब्राम्हण, निवासी
			साकरिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू-राजस्व आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :-

- श्री पैरोकार सरकार
- अधिवक्ता (अप्रार्थी/आवंटीगण)
श्री शान्तिलाल आंजना (प्रकरण संख्या 55/2024, 52/2024, 48/2024 एवं 310/2024)
श्री अरुण पण्ड्या (प्रकरण संख्या 169/2024, एवं 174/2024)
श्री बाबुलाल जैन (प्रकरण संख्या 45/2024, एवं 330/2024)
श्री विमल मोदी (प्रकरण संख्या 39/2024, 47/2024 एवं 330/2024)
श्री कुशवेन्द्र सिंह (प्रकरण संख्या 27/2024)
- विपक्षी आवंटिगण स्वयं (प्रकरण संख्या 292/2024, एवं 332/2024)



जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

दिनांक :-22/01/2025

-: आदेश :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू-राजस्व आवंटन नियम 1970 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी/विपक्षी/आवंटीगण के विरुद्ध प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि तहसील क्षेत्र प्रतापगढ़ अन्तर्गत प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021-2022 के दौरान निम्नांकित अनुसार किये गये आवंटनों के संबंध में राज्यादेश से जिला कलक्टर द्वारा गठित आवंटन एवं नामान्तरकरण जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त समस्त प्रकरणों को निरस्त योग्य बताया गया है। जिसके आधार पर उक्त भूमि आवंटन प्रकरणों को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

क्र.सं.	आवंटीगण	मिसल संख्या एवं आदेश दिनांक	राजस्व गांव	आवंटित भूमि	कुल रकबा है. में	मेंसे आवंटित भूमि है. में
1	श्री रमेश पिता कमजी भीणा ललिताबाई पत्नि रमेश भीणा, गोपालपुरा	175 / 25.04.2022	गोपालपुरा	42 43 77	0.27 0.70 0.03	0.27 0.70 0.03
2	श्री एजीबाई पत्नि कमजी भीणा, गोपालपुरा	174 / 25.04.2022	गोपालपुरा	341 / 74 72	0.60 0.53	0.60 0.53
3	श्री बाबुलाल पिता कमजी भीणा वालकी बाई पत्नि बाबुलाल भीणा गोपालपुरा	173 / 25.04.2022	गोपालपुरा	339 / 77 78 82	0.24 0.37 0.44	0.24 0.37 0.44
4	श्री घनश्याम पिता कन्हैयालाल श्यामाबाई पत्नि घनश्याम जाट, पत्थान	10 / 18.04.2022	पत्थान	752	0.22	0.22
5	श्री रावजी पुत्र नानुराम नन्दुडी पत्नि रावजी भीणा, निवासी अणगौरा, प्रतापगढ़	204 / 02.09.2022	अणगौरा	48 / 798	0.19	0.19
6	श्री भोगजी पुत्र लालु सवांगी बाई पत्नि भोगजी भीणा, लुहारिया	190 / 02.09.2022	लुहारिया	418 425 / 886 430 / 887	0.54 0.17 0.06	0.54 0.17 0.06
7	श्री केशुराम पिता केवजी रकमा पत्नि केशुराम भीणा, बडी बम्बोरी	44 / 21.12.2021	बडी बम्बोरी	1296 / 698	0.10	0.10
8	श्री नानुराम पिता फुला भीणा कलाबाई पत्नि नानुराम भीणा, डोर	80 / 25.04.2022	छोटी बम्बोरी	889 / 489	0.25	0.25
9	श्री कनीराम पिता गोमजी पार्वती पत्नि कनीराम भीणा, बडी बम्बोरी	55 / 10.12.2021	बडी बम्बोरी	1245 / 551	0.50	0.50
10	श्री नारूलाल, नाथु लाल पिता कचरु भीणा, खेरमगरी	71 / 25.04.2022	छोटी बम्बोरी	6 881 / 1	0.10 0.10	0.10 0.10
11	श्री कारूलाल पिता रामा भीणा श्यामा बाई पत्नि कारूलाल भीणा, छोटी बम्बोरी	77 / 25.04.2022	छोटी बम्बोरी	73 / 286	0.65	0.65
12	श्री चौखाराम पुत्र मांगीलाल श्रीमती बगदीबाई पत्नि चौखाराम भीणा, करमदीखेडा	93 / 25.04.2022	करमदीखेडा	199	0.26	0.26
13	श्री तुषार पिता मांगीलाल भीणा निवासी बडी बम्बोरी	178 / 25.04.2022	अचलपुर	2186 / 1026 2198 / 2188	0.50 0.31	0.81
13	श्री रविकुमार पिता सुरेश चन्द्र रेखा पत्नि रविकुमार ब्राम्हण, निवासी साकरिया	24 / 18.04.2022	साकरिया	1302 / 753 755	0.06 0.06	0.06 0.06

प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/आवंटीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट उपस्थित आवंटियों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार विधिवत् सुनवाई के अवसर प्रदान कराते हुए प्रत्येक आवंटि की व्यक्तिशः सुनवाई की गई उक्त दौरान उपस्थित आवंटिगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज बाबत कब्जा काश्त एवं अन्तरण

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

तथा जवाब प्रार्थना पत्रों को रिकार्ड पत्रावली पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा बहस उभयपक्ष अन्तिम सूची गई।

दौराने बहस उपस्थित पेशेकार सरकार तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि आवंटन प्रकरणों के संबंध में जिला कलेक्टर महोदय स्तर से गठित जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित बिन्दुओं तथा आवंटित भूमियों के राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति तथा भू-राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 में विहित प्रावधानों की समुचित पालना किये बिना ही आवंटन सलाहकार समिति प्रतापगढ़ द्वारा राजकीय भूमियों का आवंटन किया गया है। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार योग्य छोकर विवादित समस्त आवंटन निरस्त योग्य होने से खारीज फरमावें। विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय पिछोडिया उपस्थित हुए व निवेदन किया कि आवंटित भूमियों पर विपक्षीगणों का विगत 90-40 वर्षों से कब्जा है। अतः भूमि आवंटन को निरस्त नहीं किया जावे।

इसी परिपेक्ष्य में उपस्थित समस्त अधिवक्तागण एवं अप्रार्थी/आवंटीगण द्वारा दौराने सूनवाई एवं बहस अप्रार्थी/आवंटीगण को आवंटित भूमियों पर निरस्त कब्जा-काश्त के आधार पर प्राप्त नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत लिखित एवं मौखिक जवाब का हवाला देते हुए निवेदन किया कि आवंटित भूमियों पर हमारा लगातार कब्जा काश्त होने के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन किये जाने पर आवंटन किये गये हैं जिसे यथावत् रखा जावे तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को निरस्त किया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत संदर्भित प्रार्थना पत्रों तथा संलग्न रिकार्ड दस्तावेज के साथ साथ विवादित आवंटन प्रकरणों के संबंध में प्राप्त विविध शिकायत एवं जांच प्रार्थना पत्रों दिनांक 10.01.2024 एवं 31.01.2024 तथा आवंटन प्रकरणों की समीक्षा हेतु गठित जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.03.2024 एवं 12.04.2024 तथा आवंटन मिशलों तथा आवंटित भूमियों वस्तु स्थिति रिपोर्ट एवं दर्ज गैर-खातेदारी नामान्तरकरणों के साथ साथ प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देश पत्रांकों राजस्व गुप-3 विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 25.04.2024 व 02.07.2024 एवं 24.08.2024 तथा राज्य विशेष शाखा (SD) राजस्थान जयपुर से तलब रिपोर्ट पत्र दिनांक 14.08.2024 सहित प्रकरण में प्रचलित राजस्व विधियों के साथ गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान :- 2021-22 के दौरान राजस्थान भू-राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत किये आवंटन एवं नियमन हेतु प्रचलित विधियों के तहत प्रस्तावित समस्त कार्यवाहियों की अक्षरक्ष : पालना नहीं की गई है इन तथ्यों की संपुष्टि तथा आवंटन हेतु उद्घोषित भूमियों के संबंध में वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थितियों परिस्थितियों को संज्ञान में नहीं लाया जाकर संबंधित पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार द्वारा उक्त भूमियों को आवंटन हेतु प्रस्तावित कर दिया जाना दर्शित रिकार्ड पाया गया है।

इसी प्रकार देखने रिकार्ड आवंटन कार्यवाही एवं आवंटन मिशलें संज्ञान में आया कि प्रस्तुत आवेदनों को नियमानुसार दर्ज रिकार्ड एवं सूचिवद्ध नहीं किया गया था तथा आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमियों के सड़क सीमा की अथवा प्रतिबंधित श्रेणी में निहित होने अथवा रास्ता बाधित और रास्ता विवाद निर्मित करने वाली या पट्टी पठार छोटी पट्टी आवंटन के रूप में निलामी योग्य होने संबंधी जानकारियों को रिकार्ड पर लाये बिना आवंटन हेतु प्रस्तावित एवं आवंटित की गई जिससे भविष्य में कई राजस्व एवं सिविल विवाद व्युत्पन्न होना संभावित हो गया है। साथ ही कतिपय मामलों में ऐसी भूमियों के आवंटन के दौरान मौके पर काबिज व्यक्तियों से पृथक व्यक्तियों तथा आवंटित भूमियों के मूल राजस्व ग्राम एवं ग्राम पंचायतों से पृथक ग्रामवासीयों को आवंटन किया जाना भी विवाद्यक रहा है तथा आवंटन कार्यवाहियों के संबंध में नियमानुसार रिकार्ड संधारण नहीं करते हुए आवंटन सलाहकार समितियों की बैठक कार्यवाही विवरण समुचित तरिके से आवंटन कार्यवाही के साथ लिपिबद्ध नहीं किया जाकर उपस्थिति/अनुपस्थित सदस्यों की पुष्टि नहीं किया जाना भी किये गये आवंटनों को विवादित बनाता है।

प्रस्तुत प्रकरणों में आवंटित भूमियों में से शत प्रतिशत भूमियों के पूर्व से काबिज काश्त होने की स्थिति में उक्त भूमियों के आवंटन से गैर-खातेदारी के बजाय सदभाविक कब्जा-काश्त एवं आवंटनी की पात्रता अनुसार प्रस्तावित नियमों के तहत नियमन कार्यवाही करते हुए नियमन हेतु देय राजकीय शुल्क राशियों को नियत राजस्व मद में जमा कराये जाने उपरान्त नियमन कार्यवाही


प्रक्रिया प्रस्तावित की जानी चाहीये थी जिससे राजकीय राजस्व आय के साथ साथ सद्भाविक एवं उचित आवंटियों/अतिक्रमियों के विरुद्ध संचालित धारा 91 की कार्यवाही समाप्त होकर राजकीय भूमियों का उचित प्रबंधन किया जा सकता था। किन्तु अपनाई गई प्रक्रिया से राजस्व हानी कारीत हुई है। इसके विपरीत आवंटन कार्यवाही किया जाना प्रचलित विधियों का अतिलंघन है। इसके अतिरिक्त अवैधानिक अतिक्रमियों को आवंटन किया जाना अनुचित प्रतीत होता है।

इस संबंध में आवंटन जांच कमेटी की रिपोर्ट्स में उल्लेखित तथ्यात्मक, प्रक्रियात्मक एवं विधिक बिन्दुओं की अनुसरण में प्रार्थी/तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र समान प्रक्रिया एवं समान बिन्दुओं पर विरुद्ध अप्रार्थी/आवंटीगण समुचित रूप से सिद्ध होकर स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरुद्ध विपक्षी/आवंटीगण स्वीकार किये जाकर प्रकरण में संदर्भित सनस्त विवादित आवंटनों को निरस्त किया जाता है और तहसील प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आवंटनों के प्रतिफल स्वरूप अवैध आवंटियों के नाम दर्ज राजकीय भूमियों की गैर-खातेदारियां विलोपित कर आवंटित भूमियों को पुनः राजकीय खाते में दर्ज की जाकर आवंटन से विमुक्त भूमियों को कब्जे राज ली जावें। पत्रावलियां फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को सरेइजलास सूनाया जाकर लिपिबद्ध क्रिया गया है।




(डॉ अर्जुन राजौरिया)
जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़